रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252867
CG-DL-E-12032024-252867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945
No. 158] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

फा. सं. एल/12015/25/2021-एएस(IV).— आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ट), और धारा 13 के अनुच्छेद (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16);

(ख) “परीक्षा नियंत्रक” का अर्थ है संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त परीक्षा नियंत्रक;

(ग) "उपनिदेशक" का अर्थ है उपनिदेशक (स्नातक);

(घ) "दोहरी मूल्यांकन प्रणाली" का अर्थ इन विनियमों के नियम 21 के तहत प्रदान की गई मूल्यांकन प्रणाली है;

(ङ) "व्याख्यान" का अर्थ है उपदेशात्मक शिक्षण यानी कक्षा शिक्षण; और

(च) "गैर-व्याख्यान" में नैदानिक या व्यावहारिक और प्रदर्शनात्मक शिक्षण शामिल है और प्रदर्शनात्मक शिक्षण में संबंधित विषय की आवश्यकता के अनुसार छोटे समूह शिक्षण या ट्यूटोरियल या सेमिनार या संगोष्ठी या असाइनमेंट या फार्मेसी प्रशिक्षण या प्रयोगशाला प्रशिक्षण या विच्छेदन या क्षेत्र का दौरा या कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षण या एकीकृत शिक्षण शामिल है।

(2) यहां प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. प्रवेश- (1) छात्र स्नातक के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी स्नातक) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्: -

(क) भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और सामान्य श्रेणी के मामले में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में समेकित रूप से न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट अभ्यर्थी के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उक्त योग्यता परीक्षा में सामान्य श्रेणी के मामले में न्यूनतम योग्यता अंक पैंतालीस प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गो के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे।

(ग) किसी भी अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी स्नातक कार्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह कार्यक्रम के पहले सेमेस्टर या वर्ष में अपने प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

(घ) एक शैक्षणिक सेमेस्टर या वर्ष के लिए स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए, अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, बशर्ते कि-

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक चालीस प्रतिशत होंगे।

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य श्रेणी के मामले में न्यूनतम अंक पैंतालीस प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे।

(3) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों के लिए दस सीटें आरक्षित की जाएगी:

बशर्ते कि उप-विनियम (1) और (2) उक्त विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगे और इन अभ्यर्थियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमति दी जा सकती है।

(4) संस्थान केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रवेश नीति लागू करेगा।

4. आरक्षण नीति - विभिन्न श्रेणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति) के लिए आरक्षण प्रवेश के समय लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

5. काउंसलिंग- (1) नियम 3 में उल्लिखित अर्हक परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर, संस्थान के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश आयुष मंत्रालय प्रवेश केंद्रीय काउंसलिंग समिति द्वारा सीटों के आवंटन के आधार पर अखिल भारतीय सामान्य मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा और आवंटित उम्मीदवार अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होंगे तथा पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा।

(2) उम्मीदवार को संस्थान के मेडिकल परीक्षा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा और उसे उत्तीर्ण करना होगा।

6. छात्रों का नामांकन- (1) छात्र को उसके प्रवेश के छह महीने के भीतर संस्थान के छात्र के रूप में नामांकित किया जाएगा।

(2) नामांकन शुल्क का भुगतान केवल एक बार किया जाएगा चाहे छात्र संस्थान की परीक्षाओं में कितनी भी बार उपस्थित हो।

(3) परीक्षा नियंत्रक नामांकन का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

(4) नामांकन पर, प्रत्येक छात्र को एक नामांकन संख्या प्राप्त होगी जिसके तहत उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और सभी पत्राचारों में छात्र को वह नंबर संस्थान को बताना होगा।

7. शुल्क संरचना - छात्रों को नामांकन शुल्क, वार्षिक शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्क (अनुलग्नक–क) का भुगतान करना होगा जो संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और निर्धारित किया जाता है।

8. कार्यक्रम की अवधि- (1) कार्यक्रम की अवधि शैक्षणिक सत्रों के लिए चार वर्ष और छह महीने और अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप के लिए एक वर्ष होगी।

(2) यदि किसी कारण से छात्र संस्थान के प्राधिकारी की अनुमति के साथ कार्यक्रम को बीच में छोड़ देता है, तो उसे प्रवेश की तारीख से अधिकतम दस वर्षों की अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

(3) ड्रॉप आउट छात्रों को क्रेडिट घंटे और क्रेडिट अंक के साथ संबंधित विषयों या पाठ्यक्रमों में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने पर प्रतिलेख प्रदान किया जाएगा।

9. शिक्षा का माध्यम- कार्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम संस्कृत या अंग्रेजी या हिंदी होगा।

10. अध्ययन पैटर्न- (1) आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी स्नातक) डिग्री कार्यक्रम में दो भाग शामिल होंगे, अर्थात् मुख्य पाठ्यक्रम और वैकल्पिक।

(2) प्रवेश के बाद, छात्र को संक्रमणकालीन पाठ्यक्रम के आधार पर एक इंडक्शन कार्यक्रम के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

(3) इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान, आयुर्वेद के छात्र पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य विषयों के साथ-साथ आयुर्वेद के लिए संस्कृत की मूल बातें, बुनियादी जीवन समर्थन और प्राथमिक चिकित्सा सीखेंगे और प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि पंद्रह दिन के लिए छह घंटे प्रतिदिन होगी।

(4) स्नातक कार्यक्रम सेमेस्टर या वर्षों में आयोजित किए जाएंगे और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2022 में निर्दिष्ट कुल अवधि और विषयों को ध्यान में रखते हुए क्षैतिज एकीकरण मॉडल में पढ़ाया जाएगा।

(5) क्षैतिज एकीकरण मॉडल में स्नातक कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले सिद्धांतों, अवधारणाओं, बीमारियों, नैदानिक स्थितियों आदि की सूची शामिल होगी और कठिनाई स्तर के अनुसार सेमेस्टर या वर्षों के पैटर्न में सूचीबद्ध और वितरित किया जाएगा और अन्य संबद्ध विषयों को तदनुसार संरेखित किया जाएगा।

(6) विषय की सामग्री के आधार पर उनकी अवधि के साथ एकीकृत शिक्षण मॉड्यूल, शिक्षण में लचीलापन लाने के लिए सभी विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाएंगे।

(7) प्रत्येक एकीकृत शिक्षण मॉड्यूल को क्रेडिट घंटे और क्रेडिट के संदर्भ में संरचित किया जाएगा।

(8) प्रारंभिक दो सेमेस्टर या वर्ष के दौरान प्रतिदिन न्यूनतम चार घंटे की सैद्धांतिक कक्षाएं और न्यूनतम दो घंटे की गैर-व्याख्यान गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

(9) अगले सेमेस्टरों या वर्षों के लिए कुल कार्य घंटे प्रतिदिन न्यूनतम सात घंटे होंगे और व्याख्यान तथा गैर-व्याख्यान गतिविधियों में शिक्षण घंटों का अनुपात 1:2 होगा।

(10) पहला सेमेस्टर या वर्ष आमतौर पर अक्टूबर के महीने में शुरू होता है।

(11) आगामी सेमेस्टर या वर्ष पूर्ववर्ती सेमेस्टर या वर्ष की अंतिम परीक्षाओं के पूरा होने के बाद शुरू होंगे।

(12) वैकल्पिक विषय या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगे और छात्र को स्नातक कार्यक्रम के दौरान कम से कम नौ वैकल्पिक विषयों में अर्हता प्राप्त करनी होगी, हालांकि, छात्रों को नौ से अधिक जितनी चाहें उतनी संख्या में वैकल्पिक विषयों में अर्हता प्राप्त करने की स्वतंत्रता है।

(13) छात्र संस्थान द्वारा निर्दिष्ट सूची से किसी भी वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं, और समय-समय पर ऑफ़लाइन कक्षा के लिए संस्थान द्वारा निर्दिष्ट घंटों या समय में अपने सुविधाजनक समय के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, बशर्ते कि ये अध्ययन घंटे इन नियमों के तहत स्नातक कार्यक्रम के निर्दिष्ट शिक्षण घंटों से अधिक हों।

11. नैदानिक प्रशिक्षण - (1) छात्रों का नैदानिक प्रशिक्षण पहले सेमेस्टर या वर्ष से शुरू होगा और विषय से संबंधित नैदानिक प्रशिक्षण गैर-व्याख्यान घंटों में संलग्न अस्पताल (नियमित व्यावहारिक और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के अलावा) में प्रदान किया जाएगा।

(2) क्लिनिकल पोस्टिंग (बाह्य रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग में या ऑपरेशन थिएटर या पंचकर्म थेरेपी कक्ष अथवा प्रसव कक्ष या क्रियाकल्प कक्ष आदि) पिछले चार सेमेस्टर या दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित विषयों के लिए निर्धारित क्लिनिकल या गैर-व्याख्यान शिक्षण घंटों के अनुसार गैर-व्याख्यान या नैदानिक बैचों के अनुसार रोटेशन के आधार पर होगा, अर्थात्: -

(क) कायचिकित्सा;

(ख) पंचकर्म;

(ग) शल्य तंत्र;

(घ) शालाक्य तंत्र;

(ङ) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग;

(च) कौमारभृत्य-बालरोग;

(छ) स्वस्थवृत्त एवं योग;

(ज) आत्ययिक चिकित्सा; और

(i) संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई कोई अन्य विशेषज्ञता।

(3) गैर-व्याख्यान गतिविधियों में, नैदानिक या व्यावहारिक भाग सत्तर प्रतिशत होंगे और प्रदर्शनात्मक शिक्षण तीस प्रतिशत होंगे।

12. विषयों या पाठ्यक्रमों की संख्या, शिक्षण घंटे और अंकों का वितरण:-

(1) आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी स्नातक) डिग्री कार्यक्रम में चार वर्ष और छह महीने के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित तालिका में दिए गए उनके शिक्षण घंटों के साथ निम्नलिखित विषय या पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

तालिका

क्र.सं.	विषयों या पाठ्यक्रमों का नाम	शिक्षण घंटों की संख्या		
		व्याख्यान	गैर-व्याख्यान	कुल
1.	संस्कृतम्	250	50	300
2.	पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास	250	50	300
3.	क्रिया शारीर	250	200	450
4.	रचना शारीर	300	300	600
5.	संहिता अध्ययन	500	300	800
6.	द्रव्यगुण विज्ञान	200	250	450

7.	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	200	300	500
8.	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	150	300	450
9.	अगद तंत्र व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक	100	200	300
10.	स्वस्थवृत्त एवं योग	150	250	400
11.	मानस रोग, रसायन और वाजीकरण सहित कायचिकित्सा	150	300	450
12.	पंचकर्म	135	200	335
13.	शल्यतंत्र	135	250	385
14.	शालाक्यतंत्र	110	200	310
15.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	100	175	275
16.	कौमारभृत्य- बालरोग	100	175	275
17.	अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा-सांख्यिकी	50	25	75
18.	आत्ययिक चिकित्सा	---	40	40

(2) संस्थान प्रत्येक सेमेस्टर में समय-समय पर शिक्षण पैटर्न और विषय या पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा।

(3) योगात्मक मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर या वर्ष के दौरान पढ़ाए गए विषयों या पाठ्यक्रमों के अनुसार नौ सेमेस्टर या चार वर्ष और छह महीने के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित विषयों या पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है-

तालिका

क्र.सं.	**विषयों या पाठ्यक्रमों का नाम**	**शिक्षण घंटों की संख्या**		
		व्याख्यान	**गैर-व्याख्यान**	**कुल**
1.	संस्कृतम्	250	50	300
2.	पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास	250	50	300
3.	क्रिया शारीर	250	200	450
4.	रचना शारीर	300	300	600
5.	संहिता अध्ययन	500	300	800
6.	द्रव्यगुण विज्ञान	200	250	450
7.	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	200	300	500
8.	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	150	300	450
9.	अगद तंत्र व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक	100	200	300
10.	स्वस्थवृत्त एवं योग	150	250	400
11.	मानस रोग, रसायन और वाजीकरण सहित कायचिकित्सा	150	300	450
12.	पंचकर्म	135	200	335
13.	शल्यतंत्र	135	250	385
14.	शालाक्यतंत्र	110	200	310
15.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	100	175	275

16.	कौमारभृत्य- बालरोग	100	175	275
17.	अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा-सांख्यिकी	50	25	75
18.	आत्ययिक चिकित्सा	---	40	40

(2) संस्थान प्रत्येक सेमेस्टर में समय-समय पर शिक्षण पैटर्न और विषय या पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा।

(3) योगात्मक मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर या वर्ष के दौरान पढ़ाए गए विषयों या पाठ्यक्रमों के अनुसार नौ सेमेस्टर या चार वर्ष और छह महीने के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित विषयों या पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है-

तालिका

क्र.सं.	**विषय या पाठ्यक्रम**	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**लिखित**	**व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन**			**कुल योग**
				प्रैक्टिकल या क्लिनिकल	**मौखिक**	**कुल**	
1.	संस्कृतम्	2	200	-	100	100	300
2.	पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास	2	200	100	100	200	400
3.	क्रिया शारीर	2	200	100	100	200	400
4.	रचना शारीर	2	200	100	100	200	400
5.	संहिता अध्ययन	3	300	---	300	300	600
6.	द्रव्यगुण विज्ञान	2	200	100	100	200	400
7.	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	2	200	100	100	200	400
8.	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	2	200	100	100	200	400
9.	अगद तंत्र व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक	1	100	100	100	200	300
10.	स्वस्थवृत्त एवं योग	2	200	100	100	200	400
11.	मानस रोग, रसायन और वाजीकरण सहित कायचिकित्सा	3	300	100	100	200	500
12.	पंचकर्म	1	100	100	100	200	300
13.	शल्यतंत्र	2	200	100	100	200	400
14.	शालाक्य तंत्र	2	200	100	100	200	400
15.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	2	200	100	100	200	400
16.	कौमारभृत्य-बालरोग	1	100	100	100	200	300
17.	अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा-सांख्यिकी	1	50	--	--	20	70
18.	वैकल्पिक विषय (न्यूनतम नौ)	प्रत्येक वैकल्पिक विषय के लिए बीस अंक					180

13. इंटर्नशिप- (1) अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप की अवधि एक वर्ष होगी, और छात्र सभी सेमेस्टर या वर्षों के सभी विषयों या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने और संबंधित राज्य पंजीकरण बोर्ड या परिषद से अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अनिवार्य इंटर्नशिप में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

(2) इंटर्नशिप ओरिएंटेशन कार्यक्रम-

(क) संस्थान को इंटर्नशिप शुरू होने से पहले एक अनिवार्य तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करना होगा;

(ख) ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन इस उद्देश्य से किया जाएगा कि प्रशिक्षु को चिकित्सा अभ्यास या पेशे, चिकित्सा नैतिकता, औषधीय-कानूनी पहलुओं, चिकित्सा रिकॉर्ड, चिकित्सा बीमा, चिकित्सा प्रमाणन, संचार कौशल,

आचरण और शिष्टाचार, राष्ट्रीय या राज्य के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम नियमों और विनियमों के बारे में अपेक्षित ज्ञान प्राप्त हो सके;

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा एक लॉग बुक रखी जाएगी, जिसमें प्रशिक्षु ओरिएंटेशन के दौरान की गई गतिविधियों का दिनांक-वार विवरण दर्ज करेगा;

(घ) ओरिएंटेशन की अवधि निर्धारित इंटर्नशिप अवधि को छोड़कर होगी और केवल उन छात्रों को जिन्होंने ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूरा कर लिया है, उन्हें अपनी इंटर्नशिप शुरू करने की अनुमति दी जाएगी;

(ङ) समय-समय पर संस्थान द्वारा ओरिएंटेशन के संचालन के लिए मैनुअल निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) इंटर्न के काम के घंटे आठ घंटे से कम नहीं होंगे।

(4) इंटर्न को इंटर्नशिप के दौरान उसके द्वारा की गई सभी गतिविधियों वाली एक लॉगबुक रखनी होगी।

(5) आम तौर पर एक वर्ष की इंटर्नशिप निम्नानुसार होगी-

(क) विकल्प I: कॉलेज या संस्थान से जुड़े आयुर्वेद अस्पताल में छह महीने के क्लिनिकल प्रशिक्षण में विभाजित, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा के किसी भी सरकारी अस्पताल या आयुर्वेद के मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अस्पतालों में छह महीने का प्रशिक्षण। हालांकि, केवल आउट पेशेंट विभाग आधारित क्लिनिक इंटर्नशिप के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) विकल्प II: कॉलेज या संस्थान से जुड़े आयुर्वेद अस्पताल में बारह महीने का नैदानिक प्रशिक्षण।

(6) कॉलेज या संस्थान से जुड़े आयुर्वेद अस्पताल में, जैसा भी मामला हो, छह महीने या बारह महीने का नैदानिक प्रशिक्षण निम्नलिखित तालिका के अनुसार आयोजित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	**विभाग**	**छह माह का वितरण**	**विदेशी छात्रों के लिए बारह महीनों का वितरण**
1.	कायचिकित्सा जिसमें मानस रोग, रसायन और वाजीकरण या स्वस्थ्यवृत्त और योग या संहिता और सिद्धांत या आत्ययिक चिकित्सा या अन्य विशेष बाह्य रोगी विभाग शामिल हैं।	डेढ़ माह	तीन महीने
2.	शल्य तंत्र	एक माह	दो महीने
3.	शालाक्य तंत्र	एक माह	दो महीने
4.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एक माह	दो महीने
5.	कौमारभृत्य-बालरोग	पंद्रह दिन	एक माह
6.	पंचकर्म	एक माह	दो महीने

(7) उप-विनियम (5) के तहत विकल्प I के मामले में, शेष छह महीनों के लिए, इंटर्न को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ उन्मुख और परिचित कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसी एक में प्रशिक्षण लेना होगा,

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र;

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल;

(ग) आधुनिक चिकित्सा का कोई भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित अस्पताल;

(घ) कोई भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित आयुर्वेदिक अस्पताल;

(ङ) आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्रीय परिषद या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की नैदानिक इकाई।

(8) इंटर्न अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान संस्थान से जुड़े अस्पताल के संबंधित विभाग में समय-समय पर संस्थान द्वारा निर्धारित की गई गतिविधियां करेगा।

(9) कायचिकित्सा के लिए, प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित से परिचित होने और निपटने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) सभी नियमित कार्य जैसे केस लेना, जांच करना, निदान करना और आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा सामान्य रोगों का प्रबंधन करना;

(ii) नियमित क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कार्य जैसे कि हीमोग्लोबिन का आकलन, संपूर्ण हीमोग्राम, मूत्रविश्लेषण, रक्तपरजीवियों की माइक्रोस्कोपिक जांच, थूक की जांच, मल की जांच, आयुर्वेदिक तरीकों से मूत्र एवं मल परीक्षा, प्रयोगशाला डेटा और नैदानिक निष्कर्षों की व्याख्या और निदान पर पहुंचना; सभी पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जांच जो विभिन्न रोग स्थितियों की गिरावट की निगरानी के लिए उपयोगी हैं।

(iii) नियमित वार्ड प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण और रोगियों के आहार, विहार/व्यवहार और चिकित्सा अनुसूची के सत्यापन के संबंध में पर्यवेक्षण।

(10) पंचकर्म के लिए, प्रशिक्षु को पूर्वकर्म, प्रधानकर्म और पश्चातकर्म के संबंध में पंचकर्म प्रक्रियाओं और तकनीकों से परिचित होने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

(11) शल्यतंत्र के लिए, प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होने और निपटने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार सामान्य सर्जिकल विकारों का निदान और प्रबंधन;

(ii) कुछ सर्जिकल आपात स्थितियों जैसे फ्रैक्चर और संधिच्युति, तीव्र उदरवेदना का प्रबंधन;

(iii) सेप्टिक और एंटीसेप्टिक्स तकनीक, नसबंदी का व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(iv) इंटर्न को प्री-ऑपरेटिव और पोस्ट-ऑपरेटिव प्रबंधन में शामिल किया जाएगा;

(v) स्थानीय एनेस्थेटिक तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग और एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग;

(vi) रेडियोलॉजिकल प्रक्रियाएं, एक्स-रे, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, बेरियम मील, सोनोग्राफी एवं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की नैदानिक व्याख्या;

(vii) शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं और नियमित वार्ड तकनीकें जैसे-

(क) ताजा चोटों में टांके लगाना;

(ख) घाव, जलन, अल्सर और इसी तरह के मरज की ड्रेसिंग;

(ग) फोड़े का चीरा;

(घ) सिस्ट की छटाई;

(ङ) शिराविच्छेदन; और

(च) एनो-रेक्टल रोगो में क्षार सूत्र का अनुप्रयोग।

(12) शालक्य तंत्र के लिए, प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित से परिचित होने और निपटने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार सामान्य सर्जिकल विकारों का निदान और प्रबंधन;

(ii) ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद के प्रबंधन;

(iii) सर्जिकल प्रक्रियाएं, नाक, गला, दंत समस्याएं और नेत्र संबंधी समस्याएं;

(iv) बाह्य रोगी विभाग में सहायक उपकरणों के साथ आंख, कान, नाक, गले और अपवर्तक त्रुटि की जांच; और

(v) बाह्य रोगी विभाग में अंजना कर्म, नस्य, रक्तमोक्षण, कर्णपूरण, शिरोधारा, पुटपाक, कवल, गंडूष जैसी प्रक्रियाएं।

(13) प्रसूति एवं स्त्री रोग के लिए, प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होने और निपटने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर समस्याएं और उनके उपचार, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल;

(ii) सामान्य एवं असामान्य प्रसव-वेदना का प्रबंधन;

(iii) लघु एवं प्रमुख प्रसूति शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं;

(iv) सभी नियमित कार्य जैसे कि केस लेना, जांच, निदान, और आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा सामान्य स्त्री रोगों का प्रबंधन;

(v) महिलाओं में सामान्य कैंसरजन्य स्थितियों की जांच।

(14) कौमारभृत्य-बालरोग के लिए, प्रशिक्षुओं को टीकाकरण कार्यक्रम के साथ-साथ नवजात शिशु की देखभाल और महत्वपूर्ण बाल चिकित्सा समस्याओं और उनके आयुर्वेदिक प्रबंधन से परिचित होने और उनसे निपटने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

(15) स्वस्थ्यवृत्त और योग के लिए, प्रशिक्षु को पोषण संबंधी विकारों, टीकाकरण, संक्रामक रोगों के प्रबंधन, परिवार कल्याण योजना कार्यक्रम, आहार और विहार परिकल्पना (आहार की योजना, दिनचर्या, ऋतुचर्या) और अष्टांग योग के अभ्यास सहित स्थानीय रूप से प्रचलित स्थानिक बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के कार्यक्रमों से परिचित होने और उनसे निपटने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

(16) आत्ययिक चिकित्सा में, प्रशिक्षु को सभी आपातकालीन मामलों से परिचित होने और उनसे निपटने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और अस्पताल के हताहत अनुभाग में हताहत और आघात के मामलों की पहचान और उनके प्राथमिक उपचार और ऐसे मामलों को चिन्हित अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

(17) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक अस्पताल के किसी भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित अस्पताल में छह महीने के इंटर्नशिप प्रशिक्षण के दौरान, इंटर्न-

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दिनचर्या और उनके रिकॉर्ड के रखरखाव से परिचित हो सकेंगे;

(ख) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित बीमारियों और उनके प्रबंधन से परिचित हो सकेंगे;

(ग) ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य देखभाल के तरीके सिखाने और विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों में भी शामिल होना;

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा या गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के नियमित कामकाज से परिचित हों और इस अवधि में कर्मचारियों के साथ हमेशा संपर्क में रहें;

(ङ) दैनिक रोगी रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, सर्जिकल रजिस्टर इत्यादि जैसे प्रासंगिक रजिस्टरों के रखरखाव के कार्य से परिचित हो जाएं और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं या कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी लें;

(च) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

(18) एक प्रशिक्षु के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह दिन-प्रतिदिन के आधार पर उसके द्वारा की गई या सहायता की गई या देखी गई प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड एक निर्धारित लॉग-बुक में बनाए रखे।

(19) इंटर्न को काम का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, जिसे उस चिकित्सा अधिकारी या इकाई या विभाग के प्रमुख द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाएगा, जिसके अधीन वह काम करता है।

(20) इंटर्नशिप के अंत में उपनिदेशक (स्नातक) को संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित सभी प्रकार की लॉग-बुक प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के किसी भी या सभी विषयों में उसका प्रदर्शन रद्द किया जा सकता है।

14. इंटर्नशिप का मूल्यांकन - (1) मूल्यांकन प्रणाली, एक इंटर्न के कौशल का मूल्यांकन इस उद्देश्य के साथ सूचीबद्ध प्रक्रियाओं की न्यूनतम संख्या का प्रदर्शन करते समय करेगी कि इन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सीखने से इंटर्न अपने वास्तविक अभ्यास में इसे संचालित करने में सक्षम हो जाएगा।

(2) मूल्यांकन प्रत्येक पोस्टिंग के अंत में संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाएगा, और रिपोर्ट उप निदेशक (स्नातक) को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) रिपोर्ट का आकलन करने पर, उप निदेशक (स्नातक) सात कार्य दिवसों के भीतर इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा और सारांश संस्थान के परीक्षा अनुभाग को भेजा जाएगा।

(4) यदि किसी भी विभाग में मूल्यांकन में किसी प्रशिक्षु का प्रदर्शन असंतोषजनक घोषित किया जाता है, तो उसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण में उस विभाग के लिए निर्धारित दिनों की कुल संख्या की तीस प्रतिशत की अवधि के लिए संबंधित विभाग में पोस्टिंग दोहरानी होगी।

(5) एक प्रशिक्षु को मूल्यांकन के संचालन के किसी भी पहलू पर अपनी शिकायत अलग से संबंधित विभागाध्यक्ष और उपनिदेशक (स्नातक) को अपने मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर दर्ज करने का अधिकार होगा और ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर उपनिदेशक (स्नातक) को संबंधित विभाग के प्रमुख के परामर्श से सात कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण तरीके से शिकायत का निपटान करना होगा।

15. इंटर्न के लिए छुट्टी- (1) इंटर्नशिप अवधि के दौरान आकस्मिक छुट्टी अधिकतम बारह दिनों के लिए होगी और संस्थान द्वारा अनुमेय छुट्टी के अलावा इंटर्न को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी या अनुपस्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(2) इंटर्न एक साथ छह दिन की आकस्मिक छुट्टी से अधिक छुट्टी का लाभ नहीं उठा सकता।

16. इंटर्नशिप का समापन - इंटर्नशिप के सफल समापन पर, उप निदेशक (स्नातक) एक सप्ताह के भीतर इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा और उप निदेशक (स्नातक) उत्तीर्ण होने का दूसरा अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उसकी एक प्रति निदेशक को भेजेगा।

17. सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ - छात्रों को शैक्षणिक कार्यक्रम और इंटर्नशिप के दौरान समय-समय पर संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों जैसे कार्यशालाएं, सेमिनार, स्वास्थ्य और निदान शिविर, योग, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, ड्रग टूर, उद्योग मुलाक़ात और राष्ट्रीय सेवा योजना में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।

18. परीक्षाएं- (1) नामांकित छात्र अपने शैक्षणिक सत्र के निर्धारित समय के पूरा होने के बाद परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

(2) परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति कुल व्याख्यान और अलग-अलग विषय में व्यावहारिक या नैदानिक कक्षाओं की पचहत्तर प्रतिशत होगी; और

(क) प्रामाणिक बीमारी के कारण, उप निदेशक (स्नातक) संबंधित छात्र की उपस्थिति को प्रत्येक विषय में पांच प्रतिशत तक माफ कर सकते; और

(ख) यदि कोई छात्र उपस्थिति में पांच से दस प्रतिशत कम हो जाता है तब उपनिदेशक (स्नातक) उपस्थिति माफ करने संबंधी अंतिम निर्णय के लिए मामले को निदेशक के पास भेजेंगे।

(3) सभी परीक्षाएं परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई तारीखों और समय पर आयोजित की जाएंगी।

(4) पात्र छात्रों को निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और संस्थान के परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा फॉर्म विधिवत भरकर जमा करना होगा।

(5) रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन होगा और प्रत्येक शिक्षण मॉड्यूल के अंत में रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक विषय के अंत में योगात्मक मूल्यांकन होगा।

(6) प्रारंभिक मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी, परियोजनाओं, असाइनमेंट, समूह गतिविधियों, प्रस्तुतियों आदि के रूप में होगा जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है और संस्थान की शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है;

(7) योगात्मक मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर या वर्ष के अंत में परीक्षाओं के रूप में होगा जिसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक परीक्षाएं शामिल होंगी;

(8) सैद्धांतिक परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न होंगे और विषय के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे;

(9) प्रश्न पत्र अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषा में होगा और उत्तर अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषा में लिखे जा सकते हैं;

(10) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सैद्धांतिक विषयों में पचास प्रतिशत होंगे और प्रयोगात्मक परीक्षा (जिसमें व्यावहारिक, नैदानिक और मौखिक परीक्षा जहां भी लागू हो) के लिए अंक इन नियमों की अंक वितरण तालिका में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग होंगे;

(11) छात्र समय-समय पर संस्थान द्वारा निर्धारित वैकल्पिक विषयों की सूची से कई वैकल्पिक विषयों का चयन कर सकता है, लेकिन उसे इंटर्नशिप शुरू होने से पहले सकारात्मक रूप से न्यूनतम नौ वैकल्पिक विषयों में अर्हता प्राप्त करनी होगी और प्रत्येक वैकल्पिक विषय में न्यूनतम योग्यता अंक पचास प्रतिशत होंगे;

(12) पैंसठ प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र विषय में प्रथम श्रेणी और पचहत्तर प्रतिशत और उससे अधिक अंक के लिए विषय में विशिष्टता प्रदान की जायेगी और ये अवार्ड पूरक परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होंगे।

(13) यदि कोई छात्र संज्ञानात्मक कारणों से नियमित परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसे नियमित छात्र के रूप में पूरक परीक्षा में भाग लेना होगा, जिसके नियमित परीक्षा में उपस्थित न होने पर उसके साथ कमतर व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(14) परीक्षाएं आमतौर पर प्रत्येक सेमेस्टर या वर्ष के अंत तक आयोजित और पूरी की जाएंगी और किसी भी सेमेस्टर या वर्ष के दो विषयों में असफल होने वाले छात्र को अगले सेमेस्टर या वर्ष की सत्रांत परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि, छात्रों को बाद के सेमेस्टर या वर्ष की अवधि की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि छात्र पिछली परीक्षा के सभी विषयों या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

(15) अंतिम परीक्षा आम तौर पर नौवें सेमेस्टर या साढ़े चार वर्ष के अंत तक आयोजित और पूरी की जाएगी और इसके बाद अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की पूरक परीक्षा प्रत्येक छह महीने में आयोजित की जाएगी।

(16) छात्र को अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि छात्र पिछली सभी परीक्षाओं के सभी विषयों या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

(17) इसके बाद की पूरक परीक्षाएं प्रत्येक छह महीने में आयोजित की जाएंगी।

(18) कार्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि इंटर्नशिप को छोड़कर प्रवेश की तारीख से दस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

19. अंतिम मूल्यांकन – सैद्धांतिक विषयों का अंतिम मूल्यांकन पूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर नियमित परीक्षा में किया जाएगा, और परीक्षा में अंतिम प्रायोगिक मूल्यांकन व्यावहारिक या नैदानिक प्रदर्शन (अंकों का पचास प्रतिशत वेटेज) और मौखिक परीक्षा (अंकों का पचास प्रतिशत वेटेज) में होगा।

20. ग्रेस मार्क्स- (1) एक छात्र को प्रति सत्र अधिकतम दो विषयों में अधिकतम दस ग्रेसमार्क दिए जा सकते हैं और एक विषय में अधिकतम पांच अंक दिए जा सकते हैं और यह केवल मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात सत्र में छात्र के पहले परीक्षण के लिए मान्य होंगे।

(2) किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में ग्रेसमार्क के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।

21. दोहरी मूल्यांकन प्रणाली- (1) एकल मूल्यांकन में असंतुलित प्रकृति से बचने के लिए एक उत्तरपुस्तिका के लिए दो अलग-अलग योग्य परीक्षकों द्वारा दो मूल्यांकन किये जायेंगे।

(2) दोहरे मूल्यांकन के बाद, दोनों स्कोरो में कुल अंको का बीस प्रतिशत तक भिन्नता होने पर दोनों स्कोरों के औसत को अंतिम स्कोर माना जाएगा।

(3) भिन्नात्मक अंकों के मामले में, यदि अंश 0.5 या उससे ऊपर है, तो इसे अगले उच्चतम अंक तक पूर्णांकित किया जाएगा और यदि स्कोर 0.5 से नीचे है तो इसे निचले अंक मान तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(4) दोहरे मूल्यांकन के अंत में, यदि दो स्वतंत्र स्कोरो के बीच अंतर कुल अंको के बीस प्रतिशत से अधिक है, तो ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का तीसरे पात्र परीक्षक द्वारा मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

22. परीक्षा - (1) सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षाओं में परीक्षक बनने की पात्रता संबंधित विषय में न्यूनतम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव होगा।

(2) व्यावहारिक परीक्षाओं में दो परीक्षक होंगे, संस्थान से एक आंतरिक परीक्षक और दूसरा किसी भी मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेज या संस्थान से बाहरी परीक्षक।

23. अनुचित साधनों और उच्छृंखल आचरण पर नियंत्रण- (1) कोई भी छात्र परीक्षा के संबंध में अनुचित साधन या उच्छृंखल आचरण नहीं करेगा और ऐसा करना संस्थान के परीक्षा प्रावधानों के अनुसार अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर दंडनीय अपराध माना जाएगा।

(2) किसी परीक्षा या परीक्षण में किसी भी छात्र के कदाचार के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने या किसी मामले का पता चलने पर, निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षा अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के पास निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद छात्र को दंडित करने की शक्ति होगी और कदाचार के लिए समिति द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड दिया जा सकता है, अर्थात्: -

(क) किसी परीक्षा में उसके प्रवेश को रद्द करना या अस्वीकार करना और उसके द्वारा भुगतान किया गया कोई शुल्क जब्त करना;

(ख) उस परीक्षा के परिणाम को रद्द करना जिसके साथ आरोप जुड़ा हुआ है;

(ग) उसे एक विशिष्ट अवधि के लिए, जो पांच वर्ष या उससे अधिक अथवा स्थायी रूप से संस्थान के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल होने से रोकना, हो सकता है।

(3) नीचे दी गई अनुसूची में उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित छात्र के अनुचित साधन या कृत्य और कॉलम (3) में दण्ड का वर्णन दिया गया है।

अनुसूची:

क्र.सं.	अनुचित साधन या कृत्य	दंड
(1)	(2)	(3)
(1)	परीक्षा हॉल में उत्तर पुस्तिका के अलावा किसी भी सामग्री पर प्रश्न या उत्तर अथवा कुछ भी लिखना	संबंधित विषय का रिजल्ट रद्द किया जा सकता है
(2)	परीक्षा हॉल में परीक्षा के विषय से संबंधित सामग्री लाना अर्थात्:- (क) कागजात, किताबें या नोट्स; या (ख) छात्र द्वारा पहने गए कपड़ों के किसी भी हिस्से पर या उसके शरीर के किसी भी हिस्से, या टेबल अथवा डेस्क पर लिखित नोट्स; या (ग) फुट-रूल या सेट-स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, स्लाइड रूलर आदि जैसे उपकरण जिन पर नोट्स लिखे हों।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(3)	उत्तर-पुस्तिका से नकल करना पाया गया या सिद्ध हो जाता है अथवा अन्यथा यह स्थापित हो जाता है कि छात्र ने, (क) परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी समय किसी भी तरीके से किसी भी कागजात, किताबें, नोट्स, उत्तर-पुस्तिका या किसी अन्य स्रोत से नकल की या मदद ली; या (ख) किसी अन्य छात्र को अपनी उत्तर-पुस्तिका से नकल करने की अनुमति दी; या (ग) किसी अन्य छात्र से सहायता ली है या सहायता की है; या (घ) किसी अन्य छात्र के साथ अपनी उत्तर-पुस्तिका या उसके किसी भाग का आदान-प्रदान किया।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(4)	प्रश्नपत्र (या उसके किसी भाग) में बाहर से उत्तीर्ण होने या उत्तीर्ण होने का प्रयास करने पर	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(5)	आपत्तिजनक सामग्री को निगलना, उसे लेकर भाग जाना या उसे गायब कर देना या किसी अन्य माध्यम से नष्ट करना।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(6)	किसी उत्तर-पुस्तिका को अंदर या बाहर ले जाना या उसे बदलना अथवा उत्तर लिखने के बाद उसे बदल देना (परीक्षा के दौरान या बाद में किसी व्यक्ति की सहायता या सहायता के बगैर अथवा किसी व्यक्ति के मिलीभगत से)	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है

(7)	उत्तर-पुस्तिका पर्यवेक्षक को न सौंपना या उत्तर-पुस्तिका को नष्ट कर देना।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(8)	परीक्षा हॉल में गंभीर कदाचार या कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार अथवा परीक्षा हॉल के अंदर या बाहर परीक्षा ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ बल प्रयोग।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(9)	अवज्ञा, सीट परिवर्तन, परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार या उत्तर पुस्तिका पर किसी अन्य छात्र की सीट संख्या लिखना।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(10)	अंक बढ़ाने या खाली पन्नों पर उत्तर लिखने के लिए परीक्षक के पास जाना।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(11)	प्रतिरूपण-प्रतिरूपणकर्ता (जो किसी अन्य छात्र के लिए लिखता है), यदि इस संस्थान का छात्र होने के साथ-साथ प्रतिरूपित छात्र भी है।	छात्र को संस्थान से स्थायी रूप से वंचित करना।
(12)	जब उत्तर-पुस्तिका में शामिल हो, (क) अपमानजनक या अश्लील अथवा धमकी भरी भाषा; या (ख) परीक्षक से अपील; या (ग) पहचान प्रकट करने के लिए विशिष्ट चिह्न या चिह्न।	संबंधित विषय का रिजल्ट रद्द किया जा सकता है
(13)	आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के आधार पर परीक्षा में प्रवेश।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(14)	यदि छात्र वीडियो फुटेज में बात करते या कोई अन्य कदाचार करते हुए या परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हुए पाया जाता है।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है

(4) किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई भी अनुचित साधन या कृत्य साबित किया जाता है, जिसका उल्लेख उप-विनियम (3) में नहीं किया गया है, तो निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षा अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के पास छात्र द्वारा अनुचित साधनों या कृत्यों के मामले के अनुसार सजा निर्धारित करने की शक्ति होगी।

24. डिग्री प्रदान करना - अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने और इंटर्नशिप के संतोषजनक समापन के बाद एक पात्र छात्र को 2500/- रुपये (समय-समय पर परिवर्तन) के भुगतान पर या तो व्यक्तिगत रूप से या उसकी अनुपस्थिति में उसके एवज में उसके विकल्प को संस्थान के आगामी दीक्षांत समारोह में आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी स्नातक) की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

25. नेशनल एग्जिट टेस्ट - आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी स्नातक) डिग्री कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, छात्रों को पंजीकरण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित 'नेशनल एग्जिट टेस्ट' में शामिल होना होगा और उत्तीर्ण करना होगा।

26. वेकेशन और छुट्टियाँ - (1) संस्थान के प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार सर्दी और गर्मी के मौसम के दौरान स्कॉलरों को पंद्रह दिनों की छुट्टियाँ दो अवसरों पर दी जाएंगी और वेकेशन के साथ किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं जोड़ी जा सकती है।

(2) निदेशक को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

(3) उन छात्रों को ड्यूटी या विशेष छुट्टी दी जाएगी, जिन्हें खेल, सेमिनार में भाग लेने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त या अनुमति दी गई है और ऐसी छुट्टियां एक वर्ष में पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होंगी।

(4) निदेशक द्वारा विशेष परिस्थिति में छुट्टी अधिकतम पन्द्रह दिन तक बढ़ाई जा सकती है।

27. संस्थान के निदेशक के पास इन नियमों के प्रावधानों की व्याख्या में किसी भी विसंगति के लिए, और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, संस्थान के शासी निकाय के अनुमोदन या अनुसमर्थन के साथ इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट देने के लिए, अंतिम अधिकार हैं।

डॉ. अनूप ठाकर,निदेशक आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

[विज्ञापन-III/4/असा./812/2023-24]

अनुलग्नक-क

आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी स्नातक के लिए शुल्क संरचना

[विनियम 7 देखें]

बीएएमएस शुल्क संरचना

(क) अवधि शुल्क

क्र.सं.	विवरण	प्रथम प्रो. वर्ष		द्वितीय प्रो. वर्ष		तृतीय प्रो.वर्ष		चतुर्थ प्रो.वर्ष		
		पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	तीसरा टर्म
1	प्रवेश शुल्क	20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	नामांकन शुल्क	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	चिकित्सा शुल्क	5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ट्युशन शुल्क	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
5	प्रयोगशाला शुल्क	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6	अस्पताल शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7	पुस्तकालय शुल्क	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8	परीक्षा शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9	छात्र संघ शुल्क	15	15	15	15	15	15	15	15	15
10	छात्र सहायता निधि शुल्क	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	आई-कार्ड शुल्क	25	0	25	0	25	0	25	0	0
12	खेल शुल्क बोर्ड	900	0	0	0	0	0	0	0	0
लड़कों के लिए कुल अवधि शुल्क		3342	2292	2317	2292	2317	2292	2317	2292	2292
लड़कियों के लिए कुल अवधि शुल्क (ट्यूशन शुल्क से कम)		1342	292	317	292	317	292	317	292	292

(ख) छात्रावास शुल्क

क्र.सं.	विवरण	प्रथम प्रो. वर्ष		द्वितीय प्रो. वर्ष		तृतीय प्रो.वर्ष		चतुर्थ प्रो.वर्ष		
		पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	तीसरा टर्म
1	छात्रावास प्रपत्र शुल्क	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	छात्रावास प्रवेश शुल्क	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3	छात्रावास शुल्क	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4	छात्रावास अनुरक्षण	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5	हॉस्टल इलेक्ट्रिक चार्ज	60	60	60	60	60	60	60	60	60
कुल छात्रावास शुल्क		1012	960	960	960	960	960	960	960	960

(ग) जमा (वापसी योग्य)

क्र.सं.	विवरण	प्रथम प्रो. वर्ष		द्वितीय प्रो. वर्ष		तृतीय प्रो.वर्ष		चतुर्थ प्रो.वर्ष		
		पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	तीसरा टर्म
1	कॉलेज जमा	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	छात्रावास शुल्क	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3	पुस्तकालय जमा	25	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल वापसी योग्य जमा		1075	0	0	0	0	0	0	0	0

(क)+ (ख) + (ग) = कुल शुल्क

क्र.सं.	विवरण	प्रथम प्रो. वर्ष		द्वितीय प्रो. वर्ष		तृतीय प्रो.वर्ष		चतुर्थ प्रो.वर्ष		
		पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	पहला टर्म	दूसरा टर्म	तीसरा टर्म
1	लड़कों के लिए कुल शुल्क	5429	3252	3277	3252	3277	3252	3277	3252	3252
2	लड़कियों के लिए कुल शुल्क	3429	1252	1277	1252	1277	1252	1277	1252	1252

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

F. No. L-12015/25/2021-AS(IV).—In exercise of the powers conferred by clause (k), sub-section (1) of section 28 and clause (f) of section 13 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020), the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Institute of Teaching and Research in Ayurveda for Under Graduate, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020(16 of 2020);

(b) "Controller of Examinations" means Controller of Examinations appointed by the competent authority of the Institute;

(c) "Deputy Director" means the Deputy Director (Under Graduate);

(d) "Double evaluation system" means the evaluation system as provided under regulation 21 of these regulations;

(e) "Lectures" means didactic teaching i.e. classroom teaching; and

(f) "Non-lectures" includes Clinical or Practical and demonstrative teaching and the demonstrative teaching includes small group teaching or tutorials or seminars or symposiums or assignments or pharmacy training or laboratory training or dissection or field visits or skill lab training or integrated learning, as per the requirement of the concerned subject.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Admission.- (1) The students shall be eligible for admission to Ayurvedacharya(Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) programme on the basis of merit in the National Eligibility cum Entrance Test for Undergraduate which shall be conducted by an authority designated by the Central Government.

(2) A candidate shall fulfill the following conditions for admission, namely: -

(a) must have passed the intermediate (10+2) or its equivalent examinationrecognised by the Central and State Government with the Physics, Chemistry,Biology and English and must have obtained minimum of fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology in the case of General category and forty per cent. marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(b) in respect of persons with disability, candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of General category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) no candidate shall be admitted to Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery programme unless he or she has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of his or her admission in the firstsemester or year of the programme.

(d) for Admission to Under-graduate programme for an academic semester or year, it shall be necessary for a candidate to obtain a minimum of marks at fifty per cent. in the National Eligibility cum Entrance Test for Under-graduate held for the said academic session, provide that in respect of-

(i) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at forty per cent.

(ii) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at forty-five per cent. in the case of General category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(3) Ten seats shall be reserved for Foreign National candidates, approved by the Central Government:
Provided that sub-regulations (1) and (2) shall not be applicable for said Foreign National candidates and for these candidates, anyother equivalent qualifications approved by the Central Government may be allowed.

(4) The Institute shall implement the admission policy, in accordance with norms of the Central Government.

4. Reservation policy.- The reservation for different categories (the Scheduled Cast, Scheduled Tribe, Other Backward Class, Economically Weaker Section, Person with benchmark disabilities) shall be as per the guidelines in force at the time of admission.

5. Counseling.- (1) On declaration of the results of the qualifying examination as mentioned in regulation 3, the admission to the Undergraduate programme of the Institute shall be granted on the basis of allotment of seats by the Ministry of Ayush Admissions Central Counseling Committee on the basis of All India common merit list and the allotted candidates shall present physically for verification of their credentials and the admission shall be granted to the eligible candidates.

(2) The candidate shall be required to undergo medical examination by the medical examination board of the Institute and has to pass the same.

6. Enrolment of the students.- (1) The student shall be enrolled as a student of the Institute within six months of his or her admission.

(2) The enrolment fee shall be paid once only irrespective of the number of times the student appears for examinations of the Institute.

(3) The Controller of Examinations shall maintain the record of the enrollment.

(4) On enrollment, every student shall receive an enrollment number under which his or her name has been entered in the register and in all communications; student shall have to quote that number to the Institute.

7. **Fees structure -** The students shall have to pay an enrollment fee, annual fee like admission fee, examination fee, tuition fee and other fees (Annexure –A) specified and decided by the Institute from time to time.

8. **Duration of programme.-** (1) The duration of the programme shall be four years and six months for academic sessions and one year for compulsory rotatory internship.

(2) If student due to any reason leaves the programme in between with thedue permission of authority of the Institute, he or she shall be allowed to complete the programme within maximum duration of ten years from the date ofadmission.

(3) Drop out students shall be awarded transcript, on obtaining minimum qualifying marks in concerned subjects or courses along with credit hours and credit points.

9. **Medium of instruction.-** The medium of instruction for the programme shall be Sanskrit or English or Hindi.

10. **Study pattern.-** (1) The Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) degree programme shall comprise of two parts, namely, main course and electives.

(2) After admission, the student shall be inducted to the course through an induction programme based on the transitional curriculum.

(3) During the induction programme, the students of Ayurveda shall learn basics of Sanskrit for Ayurveda, basic life support and first aid along with other subjects as prescribed in the syllabus and the minimum duration of training shall be fifteen days for six hours per day.

(4) The Undergraduate programme shall be conducted in semesters or years and taught in horizontal integration model while keeping the total duration and subjects as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations 2022.

(5) The horizontal integration model shall be including, list of principles, concepts, diseases, clinical conditions etc. to be taught in Undergraduate programme and shall be listed and distributed in semesters or years pattern as per the difficulty level and the other allied subjects shall be aligned accordingly.

(6) Integrated teaching modules with their duration, based on the content of the topic, shall be prepared by the experts of all the subjects for flexibility in teaching.

(7) Each integrated teaching module shall be structured in terms of credit hours and credits.

(8) Minimum four hours of theory classes and minimum two hours of non-lecture activities per day shall be conducted during initial two semesters or year.

(9) Total working hours for next semesters or years shall be minimum seven hours per day and the proportion of teaching hours in lectures to non-lectures activities shall be 1:2.

(10) The first semester or year shall ordinarily start in month of October.

(11) The subsequent semesters or years shall start after the completion of the final examinations of the preceding semester or year.

(12) The elective subjects shall be either online or offline and the student shall qualifyminimum of nine elective subjects during the graduation programme, however, the students have freedom to qualify as many numbers of elective subjects as they may.

(13) The students may select any elective subjects from the list specified by the Institute, and study at their convenient time for specified hours or the timespecified by the Institute for offline class from time to time, provided that these study hours are over and above the specified teaching hours of graduation programme under these regulations.

11. **Clinical Training.-** (1) The clinical training of the students shall start from the first semester or year and subject related clinical training shall be provided in the attached hospital (in addition to regular practical and demonstrative teaching) in non-lecture hours.

(2) The clinical postings (Out Patients Department and In Patient Department or operation theatre or labour room or Panchakarma therapy room or Kriyakalpa room etc.) during last four semesters or two years shall be on rotation basis as per the non-lecture or clinical batches in accordance with the clinical or non- lecture teaching hours stipulated for the following subjects, namely:-

(a) Kayachikitsa;

(b) Panchakarma;
(c) Shalya Tantra;
(d) Shalakya Tantra;
(e) Prasuti Tantra evam Stri Roga;
(f) Kaumarabhritya– Balaroga;
(g) Swasthavritta evam Yoga;
(h) Atyayika Chikitsa; and
(i) Any other specialty as decided by the Institute from time to time.

(3) In non-lecture activities, the clinical or practical part shall be seventy per cent. and demonstrative teaching shall be thirty per cent.

12. NUMBER OF SUBJECTS OR COURSES, TEACHING HOURS AND MARKS DISTRIBUTION:-

(1) The Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) degree programme shall comprise of following subjects or courses with their teaching hours given in the following Table during the tenure of four years and six months.

Table

Sr. No.	Name of the Subjects or Courses.	Number of teaching hours.		
		Lectures	Non-lectures	Total
1.	Sanskritam	250	50	300
2.	Padartha Vijnana evam Ayurveda Itihasa	250	50	300
3.	Kriya Sharira	250	200	450
4.	Rachana Sharira	300	300	600
5.	Samhita Adhyayana	505	300	800
6.	Dravyaguna Vijnana	200	250	450
7.	Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana	200	300	500
8.	Roga Nidana evam Vikriti Vijnana	150	300	450
9.	Agada Tantra Vyavahara Ayurveda evam Vidhi Vaidyaka	100	200	300
10.	Swasthavritta evam Yoga	150	250	400
11.	Kayachikitsa including Manasa Roga, Rasayana and Vajikarana	150	300	450
12.	Panchakarma	135	200	335
13.	Shalya Tantra	135	250	385
14.	Shalakya Tantra	110	200	310
15.	Prasuti Tantra evam Stri Roga	100	175	275
16.	Kaumarbhritya– Balaroga	100	175	275
17.	Research Methodology and Medical-statistics	50	25	75
18.	Atyayika Chikitsa	---	40	40

(1) The Institute shall decide the teaching pattern and subjects or courses in each semester or year time to time.

(2) The summative assessment shall be held for the following subjects or courses during tenure of nine semester or four years and six months as per subjects or courses taught during each semester or year as mentioned in below Table,-

Table

Sr. No.	Subjects or Courses	No. of Papers.	Theory.	Practical or Clinicalassessment.			Grand total.
				Practical or Clinical	Viva	Total	
1.	Sanskritam	2	200	-	100	100	300
2.	Padartha Vijnana evam Ayurveda Ithihasa	2	200	100	100	200	400
3.	Kriya Sharira	2	200	100	100	200	400
4.	Rachana Sharira	2	200	100	100	200	400
5.	Samhita Adhyayana	3	300	---	300	300	600
6.	Dravyaguna Vijnana	2	200	100	100	200	400
7.	Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana	2	200	100	100	200	400
8.	Roga Nidana evam Vikriti Vijnana	2	200	100	100	200	400
9.	Agada Tantra Vyavahara Ayurveda evam Vidhi Vaidyaka	1	100	100	100	200	300
10.	Swasthavritta evam Yoga	2	200	100	100	200	400
11.	Kayachikitsa including Manasa Roga, Rasayana and Vajikarana	3	300	100	100	200	500
12.	Panchakarma	1	100	100	100	200	300
13.	Shalya Tantra	2	200	100	100	200	400
14.	Shalakya Tantra	2	200	100	100	200	400
15.	Prasuti Tantra evam Stri Roga	2	200	100	100	200	400
16.	Kaumarbhritya– Balaroga	1	100	100	100	200	300
17.	Research Methodology and Medical-statistics	1	50	--	--	20	70
18.	Elective subjects (minimum nine)	Twenty points for each elective subject					180

13. Internship.- (1) The duration of compulsory rotatory internship shall be one year, and the student shall be eligible to join the compulsory internship after passing all the subjects or courses of all semesters or years and after getting provisional registration certificate from respective state registration board or council.

(2) Internship orientation programme,-

(a) the institute shall conduct a mandatory three days orientation program before the commencement of the

internship;

(b) the orientation program shall be conducted with an aim to make the intern to acquire the requisite knowledge about the rules and regulations of the medical practice or profession, medical ethics, medico-legal aspects, medical records, medical insurance, medical certification, communication skills, conduct and etiquette, National or State health care programs;

(c) a log book shall be maintained by each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken during orientation;

(d) the period of orientation shall be excluding the prescribed internship period and those students who have completed the orientation programme only shall be allowed to start their internship;

(e) the manual for conducting the orientation shall be specified by the Institute from time to time.

(3) The working hours of intern shall be not less than eight hours.

(4) The intern shall maintain a log book containing all the activities undertaken byhim during internship.

(5) Normally one-year internship shall be as under,-

(a) Option I: Divided into clinical training of six months in the Ayurveda hospital attached to the college or Institute, and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine or Ayurveda or National Accreditation Board for Hospitals accredited private hospital of Ayurveda or Modern Medicine, however, only Outpatient department based clinics shall be not eligible for internship.

(b) Option II: Clinical training of all twelve months in Ayurveda hospital attached to the college or Institute.

(6) The clinical training of six months or twelve months, as the case may be, in the Ayurveda hospital attached to the college or Institute shall be conducted as per the following Table, namely:-

Table

Sl. No.	Departments.	Distribution of six months.	Distribution of twelve monthsfor foreign Students.
1.	Kayachikitsa including Manasa Roga, Rasayana and Vajikarana or Swasthavrittaand Yoga or Samhita and Siddhanta or Atyayika Chkitisa or other specialised Out Patient Department	One and a half month	Three Months
2.	Shalya Tantra	One month	Two months
3.	ShalakyaTantra	One month	Two months
4.	Prasuti Tantra evam Stri Roga	One month	Two months
5.	Kaumarbhritya– Balaroga	Fifteen days	One month
6.	Panchakarma	One month	Two months

(7) In case of option I under sub-regulation (5), for the remaining six months, intern shall undertake training in any of the followings with an object to orient and acquaint them with the National health Programme,

(a) Primary Health Centre;

(b) Community Health Centre or District Hospital;

(c) any recognised or approved hospital of modern medicine;

(d) any recognised or approved Ayurvedic hospital;

(e) in a clinical unit of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences or Central Government Health Scheme.

(8) The intern shall undertake activities as decided by the Institute from time to timein the respective department in the hospital attached to the Institute during compulsory internship.

(9) For Kayachikitsa, the intern shall be practically trained to acquaint withand to deal with the following, namely:-

(i) all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Ayurvedic medicine;

(ii) routine clinical pathological work such as haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, mutra evam mala pariksha by Ayurvedic methods, interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis; all pathological and radiological investigations useful for monitoring the deterioration of different disease conditions.

(iii) training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine schedule.

(10) For Panchakarma, the intern shall be practically trained to acquaint with and to make him or her competent to deal with Panchakarma procedures and techniques regarding Purva Karma, Pradhana Karma, and Pashchat Karma.

(11) For Shalya Tantra, the intern shall be practically trained to acquaint with and to deal with the following, namely:-

(i) diagnosis and management of common surgical disorders according toAyurvedic principles;

(ii) management of certain surgical emergencies such as fractures anddislocations, acute abdomen;

(iii) practical training of aseptic and antiseptics techniques, sterilisation;

(iv) intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;

(v) practical use of local anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;

(vi) radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, intravenous pyelogram, barium meal, sonography and electrocardiogram;

(vii) surgical procedures and routine ward techniques such as-

(A) suturing of fresh injuries;

(B) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;

(C) incision of abscesses;

(D) excision of cysts;

(E) venesection; and

(F) application of Ksharasutra in ano-rectal diseases.

(12) For Shalakya Tantra, the intern shall be practically trained to acquaint withand to deal with the following, namely:-

(i) diagnosis and management of common surgical disorders according toAyurvedic principles;

(ii) the pre-operative and post-operative managements;

(iii) surgical procedures in ear, nose, throat, dental problems and ophthalmicproblems;

(iv) examinations of eye, ear, nose, throat and refractive error with thesupportive instruments in Out-Patient Department; and

(v) procedures like Anjana Karma, Nasya, Raktamokshan, Karnapuran, Shirodhara, Putpak, Kawal, Gandush at Out-Patient Department.

(13) For Prasuti Tantra evam Stri Roga, the intern shall be practically trained toacquaint with and to deal with the following, namely:-

(i) antenatal and post-natal problems and their remedies, antenatal and post-natal care;

(ii) management of normal and abnormal labours;

(iii) minor and major obstetric surgical procedures;

(iv) all routine works such as case taking, investigations, diagnosis, and management of common striroga by ayurvedic medicine;

(v) screening of common carcinomatous conditions in women.

(14) For Kaumarbritya– Balaroga, the intern shall be practically trained to acquaint with and to deal with the care of new born child along with immunisation programme, and the important pediatric problems and their Ayurvedic management.

(15) For Swasthavritta and Yoga, the intern shall be practically trained to acquaint with and to deal with the programmes of prevention and control of locally prevalent endemic diseases including nutritional disorders, immunisation, management of infectious diseases, family welfare planning programmes, Ahara and Vihara Parikalpana (planning of diet, daily and seasonal routines), and practice of Ashtanga Yoga.

(16) Atyayika chikitsa, the intern shall be practically trained to acquaint with and to deal with all emergency cases and participate actively in casualty section of the hospital in identification of casualty and trauma cases andtheir first aid treatment and also procedure for referring such cases to the identified hospitals.

(17) During the six months internship training in Primary Health Centre or rural hospital or Community Health Centre or District Hospital or any recognised or approved hospital of Modern medicine or Ayurvedic hospital, the interns shall –

(a) get acquainted with routine of the Primary Health Centre and maintenanceof their records;

(b) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management;

(c) be involved in teaching of health care methods to rural population and also various immunisation programmes;

(d) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;

(e) get familiarised with the work of maintaining the relevant registers like daily patient register, family planning register, surgical register, etc. and take active participation in different Government health schemes or programmes;

(f) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.

(18) It shall be compulsory for an intern to maintain the record of procedures done orassisted or observed by him on day-to-day basis in a prescribed log-book.

(19) The intern shall maintain a record of work, which is to be verified and certifiedby the medical officer or Head of the unit or department under whom he works.

(20) Failure to produce log-book, complete in all respects duly certified by the concerned authority to the Deputy Director (Undergraduate) at the end of internship, may result in cancellation of his or her performance in any or all disciplines of internship training programme.

14. Assessment of the internship.- (1) The assessment system shall evaluate the skills of an intern while performing the minimum number of procedures as enlisted with an objective that successful learning of these procedures will enable the intern to conduct the same in their actual practice.

(2) The evaluation shall be carried out by respective Heads of departments at theend of each posting, and the report shall be submitted to the Deputy Director (Undergraduate).

(3) On assessing the report, the Deputy Director (Undergraduate) shall issue the internship completion certificate within seven working days and the summary shall be sent to the examination section of the institute.

(4) If performance of an intern declared as unsatisfactory, in an assessment in any ofthe departments, he shall be required to repeat the posting in the respective department for a period of thirty per cent. of the total number of days,prescribed for that department in internship training.

(5) An intern shall have the right to register his grievance in any aspects of conduct of evaluation, separately to the concerned Head of the Department and Deputy Director (Undergraduate), within three days from the date of completion of his evaluation, and on receipt of such grievance, the Deputy Director (Undergraduate) in consultation with the head of the concerned department shall redress or dispose of the grievance in an amicable manner within seven working days.

15. Leave for an intern.- (1) The casual leave shall be for maximum twelve days during the internship period and no other kind of leave or absence may bepermitted to an intern except as may be permitted by the Institute.

(2) Intern cannot avail more than six days casual leave at a time.

16. Completion of internship.- Upon successful completion of internship, the Deputy Director (Undergraduate) shall issue the certificate of completion of internship to the intern within a week and the

Deputy Director (Undergraduate) shall send a copy of the same to the Director for issuing a second provisional certificate of passing.

17. **Co-curricular activities.-** The students shall actively participate in various activities viz. workshops, seminars, health and diagnostic camps, yoga, sports and cultural activities, drug tour, industry visit and National Service Scheme organised by the Institute from time to time during the academic programmeand internship.

18. **Examinations.-** (1) The enrolled students shall be eligible for appearing in the examination after completion of the stipulated time of their academic sessions.

(2) The minimum attendance required to be eligible for appearing in the examination shall be seventy-five per cent. of the total lectures and practicals or clinical classes in each subject separately; and

(a) on account of bona fide illness, the Deputy Director (Undergraduate) may condone the attendance of the concerned student up to five per cent. in each subject; and

(b) if a student falls short in attendance by five to ten per cent. then the Deputy Director (Undergraduate) shall refer the case to the Director for final decision on condoning the attendance.

(3) All the examinations shall be held on such dates and time as decided by the Controller of Examinations.

(4) The eligible students shall have to pay stipulated exam fee and submit the examination form duly filled within the prescribed time frame as notified by the Controller of Examinations of the Institute.

(5) There shall be formative and summative assessment and the formative assessment shall be carried out at the end of every teaching module and the summative assessment shall be at the end of every subject.

(6) The formative assessments shall be in form of quizzes, projects, assignments, group activities, presentations etc. as decided by the concerned department and approved by the Academic Council of the Institute;

(7) The summative assessments shall be in the form of examinations at the end of each semester or year which shall include theory and practical exams;

(8) The theory examination shall be short answer questions and long explanatory answer questions and shall cover the entire syllabus of the subject;

(9) The question paper shall be in English, Hindi and Sanskrit language and the answers may be written in English, Hindi and Sanskrit languages;

(10) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and in practical (that include practical, clinical and viva-voce wherever applicable) separately in each subject as specified in marks distribution table of these regulations;

(11) Student may select any number of elective subjects from the list of elective subjects as prescribed by the Institute from time to time, but he shall qualify the minimum of nine elective subjects positively before commencementof the internship and the minimum qualifying marks in each elective subjects shall be fifty per cent;

(12) A student obtaining sixty-five per cent. and above marks shall be awarded first class in the subject and seventy-five per cent. and above marks shall be awarded distinction in the subject and these award shall not be applicable for supplementary examinations.

(13) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reasons, he or she shall appear in supplementary examination as regular student, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as a trial.

(14) The examination shall be ordinarily held and completed by the end of each semester or year and the student failing in two subject of any semester or year shall be allowed to keep the term and exam of the next semester or year, however, the student shall not be allowed to keep term of subsequent semesteror year unless the student passes all the subjects or courses of previous examination.

(15) The final examination shall be ordinarily held and completed by the end of ninth semester or four and half year and the subsequent supplementary examination of final semester or year shall be held in every six months.

(16) The student shall not be allowed to appear in final semester or year examination,unless the student passes all the subjects or courses of previous all examinations.

(17) The subsequent supplementary examinations shall be conducted every six months.

(18) The maximum duration of completion of programme shall not exceed ten years from the date of admission excluding internship.

19. Final Assessment.- The final assessment of theory shall be done in the regular examination based on full syllabus, and final practical assessment in examinationshall be practical or clinical performance (fifty per cent. weightage of marks) and viva voce (fifty per cent. weightage of marks).

20. Grace marks.- (1) A student may be awarded maximum ten grace marks in maximum of two subjects per session with a maximum of five marks in one subject and shall be valid only for main theory examination i.e. first trial of the student in a session.

(2) There shall be no provision for grace mark in any practical exam.

21. Double evaluation system.- (1)There shall be two evaluations for an answer book by two different eligible examiners to avoid lopsided nature in single evaluation.

(2) After double evaluation, in case of variation of both the scores up to twenty per cent. of the total marks then the average of both the scores shall be considered as final score.

(3) In case of fractional scores, if the fraction is 0.5 or above, it shall be rounded up to next highest digit and if the score is below 0.5 it shall be rounded up to the lower digit value.

(4) At the end of double evaluation, if the variation between two independent scores is more than twenty per cent. of the total marks, then such answer books shall be consideredfor evaluation by third eligible examiner.

22. Examinership. - (1) The eligibility to be an examiner in the theory and practical examinations shall be a minimum of five years of teaching experience in the concerned subject.

(2) There shall be two examiners in the practical examinations, one internal examiner from the Institute and the other external examiner from any recognised Ayurveda college or Institute.

23. Control of unfair means and disorderly conduct.- (1) No student shall use unfair means or indulge in disorderly conduct at, or in connection with the examination and doing so shall be considered as an punishable offencedepending upon the nature and gravity of the offence as per the provisions of examination of the Institute.

(2) On receipt of a report or on detection of an any case regarding the misconduct of any student at any examination or tests, the Examination Disciplinary Action Committee appointed by the Director shall have the power to punish the student after following the procedures as laid down therein and any one or more of the following punishment may be awarded by the committee for misconduct namely:-

(a) cancelling or rejecting his admission to an examination and forfeiting fees if any, paid by him;

(b) cancelling his result of the examination with which the charge is connected;

(c) debarring him for a specific period which may be five years or more orpermanently from joining any programme of the institute.

(3) The schedule below provides column (3) for punishment and unfair means or acts of student mentioned in column (2) of the said schedule.

SCHEDULE:

Sr. No.	Unfair Means or Acts	Punishment
(1)	(2)	(3)
(1)	Writing questions or answers or anything on any material other than answer book inside the examination hall	Cancelling the result of respective subject
(2)	Possession of material(s) relevant to the subject of theexamination in examination hall namely:- (a) papers, books or notes; or (b) written notes on any part of the clothes worn by the student or on any part of his body, or tableor desk; or (c) foot-rule or instruments like set-squares, protractors, slide	Disqualification from appearing in examinationsfor two exams

	rulers, etc. with notes written on them.	
(3)	Copying is found or established from answer-book or itis otherwise established that the student has, (a) copied or taken help from any papers, books, notes, answer-book or any other sources in anymanner during the examination or at any time thereafter; or (b) allowed another student to copy from his answer-book; or (c) received help from or has helped another student;or (d) exchanged his or her answer-book or apart thereof with another student.	Disqualification from appearing in examinationsfor two exams
(4)	On passing or attempting to pass on the question paper (or part thereof) outside	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(5)	Destruction of incriminating material(s) by swallowing, running away with it or causing its disappearance or by any other means.	Disqualification from appearing in examinations for three exams
(6)	Smuggling in or out of an answer-book or replacing or getting it replaced after attempting answers (during or after the examination with or without the help or connivance of any person).	Disqualification from appearing in examinationsfor three exams
(7)	Non delivery of answer-book to the supervisor ordestroying the answer book.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(8)	Serious misconduct in the examination hall or misbehavior with staff or using force with the staffappointed on exam duty inside or outside the examination hall.	Disqualification from appearing in examinationsfor two exams
(9)	Disobedience, change of seat, misbehavior in or around examination hall or writing another student's seat number on the answer-book.	Disqualification from appearing in examinations for one exam
(10)	Approaching examiner for raising marks or for writing the answer on blank pages.	Disqualification from appearing in examinations for three exams
(11)	Impersonation–impersonator (who writes for another student), if is a student of this institute as well asimpersonated student.	Permanently debarring the student from Institute.
(12)	When answer-book contains, (a) abusive or obscene or threatening language; or (b) appeal to the examiner; or (c) distinctive mark or sign to disclose the identity.	Cancelling the result of respective subject
(13)	Admission to the examination on any kind of false representation in the application form.	Disqualification from appearing in examinations for one exam
(14)	If the student is found talking or doing any other malpractice in the video footage or keeping mobile phone or any other electronic gadgets in the examination hall.	Disqualification from appearing in examinations for one exams

(4) Any unfair means or acts in any examination is held proved against the candidate, which are not mentioned in sub-regulation (3), the Examination Disciplinary Action Committee appointed by the Director shall have the power todecide the punishment as per the case of unfair means or acts by the student.

24. Award of the degree.- An eligible student passing the final semester or year examination and after satisfactory completion of Internship shall be awarded with the Degree of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery), on payment of Rs. 2500/- (change from time to time) either in person or in absentia at his or her option at the succeeding convocation of the Institute.

25. National Exit Test.- After completion of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) degree programme, the students shall have to appear and qualify 'National Exit Test' conducted by National Commission for Indian System of Medicine for getting registration.

26. Vacations and Leave.- (1) Two vacations of fifteen days each shall be allowedto the scholars during winter and summer seasons as decided by the authority of the institute and no any kind of leave can be attached with vacation.

(2) The Director shall have power to sanction extra leave in extra ordinary circumstances.

(3) The duty or special leave shall be granted to the students, who are deputed or allowed by the authority to take part in the sports, seminar and such leave shall not exceed fifteen days in a year.

(4) The leave may be extended maximum up to fifteen days in special case by the Director.

27. The Director of the Institute has the final authority for any discrepancy in the interpretation of provisions of these regulations, and for reasons to be recorded in writing, may relax any provisions of these regulations with the approval or ratification of the Governing body of Institute.

Dr. ANUP THAKAR, Director, Institute of Teaching and Research in Ayurveda

[ADVT.-III/4/Exty./812/2023-24]

Annexure- A

Fee structure for Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery

[See Regulation 7]

BAMS Fee Structure

(A) TERM FEE										
Sr. No.	**Details**	**1st Prof. Year**		**2nd Prof. Year**		**3rd Prof. Year**		**4th Prof. Year**		
		1st Term	**2nd Term**	**1st Term**	**2nd Term**	**1st Term**	**2nd Term**	**1st Term**	**2nd Term**	**3rd Term**
1	Admission Fee	20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Enrolment Fee	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Medical Fee	5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tuition Fee	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
5	Laboratory Fee	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6	Hospital Fee	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7	Library Fee	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8	Examination Fee	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9	Student Union Fee	15	15	15	15	15	15	15	15	15
10	Student Aid Fund Fee	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	I-Card Fee	25	0	25	0	25	0	25	0	0
12	Board of Sports Fee	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Term Fee for Boys		3342	2292	2317	2292	2317	2292	2317	2292	2292
Total Term Fee for Girls (less of Tuition Fee)		1342	292	317	292	317	292	317	292	292

(B) Hostel Fee

Sr. No.	**Details**	**1st Prof. Year**		**2nd Prof. Year**		**3rd Prof. Year**		**4th Prof. Year**		
		1st Term	**2nd Term**	**1st Term**	**2nd Term**	**1st Term**	**2nd Term**	**1st Term**	**2nd Term**	**3rd Term**
1	Hostel Form Fee	2	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Hostel Admission Fee	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hostel Fee	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4	Hostel Maintenance	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5	Hostel Electric Charge	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Total Hostel Fee		1012	960	960	960	960	960	960	960	960

(c) Deposit (Refundable)

Sr. No.	Details	1st Prof. Year		2nd Prof. Year		3rd Prof. Year		4th Prof. Year		
		1st Term	2nd Term	1st Term	2nd Term	1st Term	2nd Term	1st Term	2nd Term	3rd Term
1	College Deposit	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hostel Fee	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Library Deposit	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Refundable Deposit		1075	0	0	0	0	0	0	0	0

(A)+ (B) + (C) = Total Fees

Sr. No.	Details	1st Prof. Year		2nd Prof. Year		3rd Prof. Year		4th Prof. Year		
		1st Term	2nd Term	1st Term	2nd Term	1st Term	2nd Term	1st Term	2nd Term	3rd Term
1	Total Fees For Boys	5429	3252	3277	3252	3277	3252	3277	3252	3252
2	Total Fees For Girls	3429	1252	1277	1252	1277	1252	1277	1252	1252

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.12 18:06:35 +05'30'